प्रकरण संख्या 01/2019 2019/00038 ता0रजू 28.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

राज0 राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा — अपीलाण्ट

बनाम

श्री रमेश चन्द मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती — रेस्पोण्डेण्ट

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड 2.26 क्वि. गेहूँ को राजसात् करने बाबत्

निर्णय

दिनांक 11.09..2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 29.01.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली एवं प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती तहसील सपोटरा की जाँच की गयी। उचित मूल्य दुकान का 01.09.2016 से निरीक्षण दिनांक 29.01.2019 तक श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती को कुल मय प्रारम्भिक स्टॉक सहित कुल 112.34 क्वि. गेहूँ की आमद हुई जिसमें से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 106.60 क्वि. गेहूँ का वितरण किया गया तथा भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान पर 8 क्वि. गेहूँ पाया गया अर्थात् डीलर के स्टॉक में 2.26 क्वि. गेहूँ अधिक पाया गया। श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती के स्टॉक में भौतिक सत्यापनर पर अधिक पाये गये 2.26 क्वि. गेहूँ को जप्तराज कर मौके पर उपस्थित श्री छोटे लाल पुत्र श्री मूल चंद मीना उम्र 48 वर्ष निवासी बालौती को सुपुर्द कर खुदबुर्द नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। अतः श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा अवैध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की कालाबाजारी करना प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेहूँ 2.26 क्वि. का अवैध रूप से विक्रय करना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पी.डी.एस. कंट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार कर फर्द मौका व फर्द जब्ती/सुपुर्दगी नामा संलग्न किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.09.2016 से निरीक्षण दिनांक तक प्रारम्भिक स्टॉक सहित कुल 112.34 क्विं. गेंहूं की आमद में से दुकानदार द्वारा 106.60 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत भौतिक सत्यापन करने पर 8.00 क्विं. गेंहूं स्टॉक शेष पाया गया जिसमें 2.26 क्विं. गेंहूं स्टॉक में अधिक पाया गया है जिसके संबंध में निवेदन है कि तत्समय निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यान किया गया था तब कुछ उपभोक्ताओं के पृथक गेंहूं छोटे–छोटे कट्टों में भरे हुए पृथक से दुकान में रखे हुए थे, जिनके बाबत् प्रार्थी ने निवेदन किया था कि यह गेंहूं 40 किलोग्राम छोटेलाल मीना, 20 किलो गेंहूं मुनेश मीना, 50 किलो गेंहूं बाबूलाल मीना, 25 किलो गेंहूं नत्थू लाल मीना, 25 किलो गेंहूं श्रीमन मीना, 35 किलो गेंहूं रामबाबू गुप्ता तथा 30 किलो गेंहूं कमला बेवा आदि

जिला कलक्टर
करौली

उपभोक्ताओं के थे जो वाहन नहीं लाये जाने एवं अधिक मात्रा में होने के कारण उठाने से एवं ले जाने से रह गये हैं जिन्हें कुछ समय बाद वाहन से उठाकर ले जाने की बात को कहते हुए छोड़ कर गये हैं जिनके शपथ पत्र इस जवाब के साथ संलग्न हैं जिनका अवलोकन करने के उपरांत सभी तथ्यों से आप स्वयं अवगत होते हुए संतुष्ट हो जावेंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की रसद वितरण व्यवस्था में धांधली एवं अनियमितता एवं गबन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से रसद सामग्री का वितरण किया गया है तथा राज्य सरकार की वितरण प्रणाली की पारदर्शिता का पालन करते हुए कार्य किया है व कर रहा है एवं आगे भी करता रहेगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई पोश मशीन से ही रसद वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये हुए हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन है कि दिनांक 29.01.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली एवं प्रार्थी द्वारा श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती तहसील सपोटरा की राशन दुकान की जाँच की गयी। उचित मूल्य दुकान का 01.09.2016 से निरीक्षण दिनांक 29.01.2019 तक श्री अप्रार्थी को मय प्रारम्भिक स्टॉक कुल 112.34 क्वि. गेहूँ की आमद हुई जिसमें से अप्रार्थी द्वारा 106.60 क्वि. गेहूँ का वितरण किया गया तथा भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान पर 8 क्वि. गेहूँ पाया गया अर्थात् डीलर के स्टॉक में 2.26 क्वि. गेहूँ अधिक पाया गया। अप्रार्थी के स्टॉक में भौतिक सत्यापन पर अधिक पाये गये 2.26 क्वि. गेहूँ को जप्तराज किया गया। अपीलार्थी की दुकान पर कुल 16 कट्टे (50 किलो भरती के) ही पाये गये थे जिनमें 8 क्विं. गेंहूं भरा हुआ था। अपीलार्थी द्वारा उनमें से 1 क्विं. गेंहूं हनुमानजी के मंदिर के होना बताया था जिन्हें गेंहूं का वितरण नहीं किया जाता है एवं दूसरी जगह से आने वाले गेंहूं को राशन दुकान में रखने के लिए दुकानदार को अनुमति नहीं है। इसके अलावा किसी अन्य उपभोक्ता का गेंहूं होना अप्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया। अतः श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा अवैध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की कालाबाजारी करना प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री रमेश चंद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालौती द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेहूँ 2.26 क्वि. का अवैध रूप से विक्रय करना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पी.डी.एस. कंट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन है कि दिनांक 01.09.2016 से निरीक्षण दिनांक तक प्रारम्भिक स्टॉक सहित कुल 112.34 क्विं. गेंहूं की आमद में से दुकानदार द्वारा 106.60 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत भौतिक सत्यापन करने पर 8.00 क्विं. गेंहूं स्टॉक शेष पाया गया जिसमें 2.26 क्विं. गेंहूं स्टॉक में अधिक पाया गया है जिसके संबंध में निवेदन है कि निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यान किया गया था तब कुछ उपभोक्ताओं के पृथक गेंहूं छोटे–छोटे कट्टों में भरे हुए पृथक से दुकान में रखे हुए थे, जिनके बाबत् प्रार्थी ने निवेदन किया था कि यह गेंहूं 40 किलोग्राम छोटेलाल मीना, 20 किलो गेंहूं मुनेश मीना, 50 किलो गेंहूं बाबूलाल मीना, 25 किलो गेंहूं नत्थू लाल मीना, 25 किलो गेंहूं श्रीमन मीना, 35 किलो गेंहूं रामबाबू गुप्ता तथा 30 किलो गेंहूं कमला वेवा

जिला कलक्टर
करौली

आदि उपभोक्ताओं के थे जो वाहन नहीं लाये जाने एवं गेंहूं अधिक मात्रा में होने के कारण उठाने से एवं ले जाने से रह गये हैं जिन्हें कुछ समय बाद वाहन से उठाकर ले जाने की बात को कहते हुए छोड़ कर गये हैं जिनके शपथ पत्र जवाब के साथ संलग्न किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की रसद वितरण व्यवस्था में धांधली एवं अनियमितता एवं गबन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से रसद सामग्री का वितरण किया गया है तथा राज्य सरकार की वितरण प्रणाली की पारदर्शिता का पालन करते हुए कार्य किया है व कर रहा है एवं आगे भी करता रहेगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई पोश मशीन से ही रसद वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये हुए हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 29.01.2019 को वक्त जांच भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी की दुकान पर 16 कट्टों में 8 क्विं. गेंहूं पाया गया है। दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक प्रारंभिक स्टॉक एवं आमद सहित कुल 112.34 क्विं. गेंहूं में से 106.60 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत अप्रार्थी की दुकान पर 5.74 क्विं. होना चाहिये था। अप्रार्थी द्वारा अधिक बताये गये स्टॉक को 07 उपभोक्ताओं का होना बताया है जबकि मौका पर्चा में 1 क्विं. गेंहूं हनुमानजी के मंदिर का होना बताया गया है जिस पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार मौके पर 7 उपभोक्ताओं के गेंहूं होना, बताया जाना गलत विदित होता है। दूसरी बात यह है कि मौके पर केवल 16 कट्टे ही पाये गये हैं जिनमें 8 क्विं. गेंहू भरा हुआ है। यदि इन 7 कट्टों में अन्य उपभोक्ताओं का 2.25 क्विं. गेंहूं होता तो मौके पर 5.75 क्विं. गेंहूं के लिए 12 अन्य कट्टों भी पाये जाते जो नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ--पत्र की छायाप्रति ही पेश की गई है जिनमें अधिकांश की एक जैसी इबारत है। किसी भी शपथकर्ता उपभोक्ता द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर बयान नहीं दिये गये हैं जिससे उनकी प्रमाणिकता सिद्ध होती हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 2.26 क्विं. गेंहू को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 2.26 क्विं. गेंहूं को इस आदेश की प्राप्ति से 15 दिवस में नियमानुसार किसी अन्य राशन डीलर द्वारा पोश मशीन से वितरित करवाया जावे एवं प्राप्त राशि को जमा राजकोष करवाया जाकर चालान प्रति इस न्यायालय में पेश की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली